13.12.18 | पत्रावली पेश/वकील पक्षकार उप...

20.12.18 को पेश हो।

20/12/2018 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं। बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है, कि पूर्व में भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम पर दर्ज थी, जिसे बंदोबस्त द्वारा त्रुटिपूर्वक माफी खेवट भाई दर्ज कर दिया है। सदैव से उक्त प्रकरण वर्णित भूमि पर अप्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	काबिज़ काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थी का उक्त प्रकरण वर्णित भूमि कभी कब्जा नहीं रहा है। मात्र मुआवजा की रकम से अप्रार्थीगण को महरूम करने के लिये यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अन्य कथन कर प्रा० पत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया। हमने बहस विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष पर विचार किया। प्रार्थना पत्र का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्य, वांछित अनुतोषादि, अप्रार्थीगण के जवाब एवं प्रा० पत्र (प्रकरण) में प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया। हल्ब खतौनी बन्दोबस्त ग्राम हीयाखेड़ी सं० २०१४ से २०३३ खाता नम्बर ६२ पर ख० नं० २/११।३, ६/चा), ८/३।।।)३, १०/चा) किता ४ रकबा २२)१ पर वर्तो कृषक खाता ४ पर मांग्या व मथुरा पिता रामा कौम कुम्हार सा० देह का नाम दर्ज है। वर्तो भोक्ता खाता ३ में माफी खेल भराई दर्ज है। हल्ब फर्द मिलान सबिक २ से हाल ३, ६ से ९ व १०, ८ से ११, १४ व १५, १० से २०, २१, २९ ३० व ३१ नम्बर पैमूद किये गये हैं। उक्त हाल नम्बरान वर्तमान में माफी खेल भराई समस्त ग्राम वासियान सा० देह व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर संस्था के लिये अंकन भी दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार हल्ब अभिलेख न तो पूर्व में और न ही वर्तमान में प्रकरण वर्णित भूमि	

Scanned by CamScanner

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम...... रामगंजमण्डी, जिला कोटा

....

मिसल मुकदमा..................................नं...........................सन्.........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
	पर प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं है। राजस्व रिकार्ड से प्रार्थी का स्वेकार प्रमाणित नहीं है और इसके विपरीत संवत् २०१४ से आज तक लगातार राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण का नाम रहा है। अतः उक्त रिकार्ड प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण पूर्णतया प्रमाणित नहीं है। प्रकरण वर्णित भूमि आराजियात खसरा नम्बर ३,८,१०,११,१४,१५,२०,२१ २८,३० ३१ किता ११ रकबा ३.५८ हेक्टर पर प्रार्थी का कब्जा है? या उक्त भूमि पर प्रार्थी द्वारा खेती की या करवाई जा रही है। या प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को मुनाफा काश्त पर देकर उक्त रकम से "खेल भलाई" का कार्य अंजाम दिया जा रहा है ऐसा न तो तथ्य ही पेश किये और न ही इस तारतम्य को प्रकट करने वाले कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत किये। लिहाजा प्रकरण वर्णित भूमि पर प्रार्थी का सुस्थापित कब्जा (सेटल्ड पजेशन) नहीं माना जा सकता। प्रार्थी प्रकरण वर्णित भूमि के न तो अभिलिखित खातेदार अभिधारी की हैसियत रखते और न ही उनका कब्जा ही	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रभावित हो रहा है।	

मूलतः सुविधा के संतुलन में यह देखा जाना चाहिये कि व्यादेश जारी करने से किस पक्ष को असुविधा होगी या कौनसा पक्ष उक्त व्यादेश से विपरीत स्तर तक प्रभावित होगा? प्रकरण में विवादित भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा होना प्रकट नहीं होता है। अतः प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन नहीं पाया जाता है।

प्रकरण वर्णित भूमि पर अंकित अंकन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, कि उक्त भूमि पर "समस्त ग्राम वासियान" और "संस्था के लिये" ये दो शब्द बिना कोई विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किये जोड़ दिये गये हैं। प्रकरण वर्णित भूमि के प्रार्थीगण न तो अभिलिखित खातेदार अभिधारी हैं, न उनका उक्त भूमि पर मैरफ पजेशन ही प्रतीत हो रहा है। अतः प्रकरण में प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षति होना संभाव्य नहीं है।

प्रार्थी को या अप्रार्थीगण को वारगत भूमि पर क्या हकूक अख्त्यार हैं? या होने चाहिये? मांफी रिज्जम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 आदि अन्य कानूनों का प्रकरण पर क्या असर है? आदि तथ्यों का विनिश्चय मूलवाद में सम्यक साक्ष्य तथा समुचित परीक्षणोपरान्त विधि अनुसार मैरिट पर पर होना है न कि प्रार्थी या अप्रार्थीगण के कथनों के आधार पर।

किस्म मुकदमा...नं.......................................सन...........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
	प्रकरण के गुणावगुण पर समस्त विचार किया गया। प्रकरण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 एवं अस्थाई आदेश से संबंधित सामान्य सामान्य नियमों पर प्रकरण का परीक्षण किया। प्रकरण अस्थाई की शर्तों पर खरा नहीं उतरता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का खारिज किया जाता है। पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद मिसल नम्बर 262/17 के साथ संलग्न किया जावें। निर्णय आज दिनांक 20/12/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। [signature] 20/12/2018 (के. जी. जोशन) R.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

Scanned by CamScanner